मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

—:: नीलामी सूचना ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी आवास के सामने स्टेडियम चौराहे से अम्बेडकर चौराहे तक लगे हुए कुल 166 पेडो की नीलामी दिनांक 14.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण मीटिंग हाल में होनी है। बोलीदाता को नीलामी से पूर्व टोकन मनी रूपये 50,000.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट/नकद (जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के नाम बन्धक हो) धरोहर राशि के रूप में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे जमा कराने होगें। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी लेने के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षों को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते है। नियम व शर्ते प्राधिकरण की वेबसाईट, **mdameerut.org.in** पर व अभियन्त्रण अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता–2,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

For website

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

—:: नीलामी सूचना ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी आवास के सामने स्टेडियम चौराहे से अम्बेडकर चौराहे तक लगे हुए कुल 166 पेडो की नीलामी दिनांक 14.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण मीटिंग हाल में होनी है। बोलीदाता को नीलामी में पूर्व अंकन रूपये 50,000.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट/नकद (जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के नाम बन्धक हो) धरोहर राशि के रूप में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे जमा कराने होगें। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी लेने के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षों को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते है। नियम व शर्ते प्राधिकरण की वेबसाईट **mdameerut.org.in** पर व अभियन्त्रण खन्ड में किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है।

नियम व शर्ते–

1. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गई धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि उसी समय तथा अवशेष धनराशि स्वीकृति उपरान्त तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी तदोपरान्त ही वृक्षों का कटान प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर खड़े वृक्षों को देखने/आकलन की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता के पेड़ों का कटान 15 दिन के अन्दर करके स्थल से वृक्षों की जड़ इत्यादि निकाल कर साफ कराना होगा। विलम्ब की दशा मे नीलामी निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को वृक्षों का कटान एवं ढुलाई खर्च स्वयं वहन करना होगा।
5. किसी भी प्रकार की यदि कर देयता होगी तो बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
6. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्षों के प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु सम्बन्धित केता को प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधीक्षण अभियन्ता–2,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।